



ज्ञान शक्ति मैत्री

डॉ. राजेंद्र प्रसाद मिश्र
Dr. Rajendra Prasad Mishra
कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

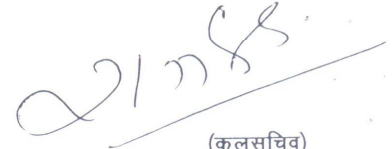
दूरभाष / Phone : +91-7152-230902
फैक्स / Fax : +91-7152-247602

क्रमांक :- 008/2009/HV/34-1/PF/164
दिनांक :- 18.11.2015

परिपत्रक

कुलपति महोदय के अनुमोदनानुसार विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं की सुविधाओं के संबंध में निम्नानुसार बिन्दुओं का पालन किया जाना है:

1. विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं छात्रावास से संबंधित कोई भी समस्या/मांग को कुलानुशासक व वार्डन के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाएगा।
2. छात्रावास में रह रहे छात्र-छात्राओं को आपात काल में दवाखाना जाने हेतु वाहन की आवश्यकता पड़ने पर छात्रावास में उपलब्ध केअरटेकर को तथा केअरटेकर की अनुपस्थिति में छात्रावास में कार्यरत सुरक्षा कर्मी को यह दायित्व सौंपा जाए कि वह संबंधित वार्डन/छात्रावास अधीक्षक को सूचित करेगा।
3. किसी भी छात्र-छात्रा का स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर उक्त छात्र-छात्रा के साथ मात्र दो साथी साथ जाएंगे, विशेष परिस्थिति में ही तीन साथी साथ जा सकते हैं।
4. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त वाहन सुविधा के अतिरिक्त विशेष आकस्मिक परिस्थितियों में विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न एम्बुलेंस सेवाओं के संपर्क नंबर भी सभी छात्रावासों के नोटिस बोर्ड पर शीघ्र ही उपलब्ध रहेंगे ताकि विद्यार्थी स्वयं भुगतान द्वारा इन सेवाओं का लाभ उठा सकें।


(कुलसचिव)

प्रतिलिपि -

- 01 कुलपति महोदय को संज्ञानार्थ प्रस्तुत।
- 02 प्रतिकुलपति महोदय को संज्ञानार्थ प्रस्तुत।
- 03 प्रो. सूरज प्रसाद पालीवाल, कुलानुशासक
- ☒ 04 प्रो. अनिल अंकित राय, अधिष्ठाता (छात्र कल्याण)
- 05 कुलसचिव कार्यालय
- 06 समस्त छात्रावास अधीक्षक
- 07 सुरक्षा अधिकारी को संबंधित सुरक्षा कर्मी को निर्देशित करने हेतु।
- ☒ 08 जनसंपर्क अधिकारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 09 समस्त छात्रावास सूचना पट्ट